

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**अधिसूचना**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत बिहार आपूर्ति सेवा के निम्नांकित पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित प्रखंड/स्थान/जिला में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है। एतद् संबंधी पूर्व में विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश यदि कोई हो तो उसे विलोपित समझा जाय।

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन/ प्रखंड/स्थान	पदस्थापित प्रखंड/स्थान
1	2	3	4	5
1	श्री सुशील कुमार वर्मा	पूर्वी चम्पारण	वरियापुर, सारण अधि०-6378/11. 08.2015	पटना सदर
2	श्री विजय कुमार सिन्हा	पटना	जिला आपूर्ति कार्यालय, अररिया अधि०-6378/11. 08.2015	डगरुआ, पूर्णिया
3	श्री दिनेश पासवान	शेखपुरा	काको, जहानाबाद अधि०-5000/29. 06.2015	घोषी जहानाबाद

2. उपर्युक्त सभी पदाधिकारियों का स्थानांतरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः नये पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(शैलेन्द्र कुमार चौधरी)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापक-प्र०3-स्था०-03-02/2015 6670

खाद्य, पटना/दिनांक- 21.08.15

प्रतिलिपि- सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/संबन्धित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/संबन्धित अनुमंडल पदाधिकारी/संबन्धित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/संबन्धित पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्थानांतरित पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के अन्दर स्थानांतरित प्रखंड/स्थान में योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर दें।

सरकार के अपर सचिव।